

पूँजीगत प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012	बजट 2012-2013	संशोधित 2012-2013	बजट 2013-2014
ऋण-भिन्न प्राप्तियां					
1. ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां					
1.01. राज्य सरकारें					
1.01.01. सकल प्राप्तियां	7601	10637.74	9418.00	9276.61	9406.48
1.01.02. वसूलियां	7601	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
निवल-राज्य सरकारें		10637.74	8418.00	8276.61	8406.48
1.02. संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित)	7602	116.48	111.41	126.42	141.45
1.03. विदेशी सरकारें	7605	293.73	310.32	281.77	274.25
1.04. अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)					
1.04.01. सकल प्राप्तियां	9001	25770.26	13255.47	27382.73	12231.83
1.04.02. वसूलियां	9001	-17967.89	-10445.00	-21994.60	-10400.01
निवल-अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)		7802.37	2810.47	5388.13	1831.82
निवल-ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां		18850.32	11650.20	14072.93	10654.00
2. विविध पूँजी प्राप्तियां					
2.01 विनिवेश प्राप्तियां	4000	18087.63	30000.00	24000.00	40000.00
2.02 गैर-सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्से का विनिवेश	4000	...	...	...	14000.00
2.03 एएमसी के पास राशियों को पुनरांकित करना	4000	...	...	...	1814.00
जोड़-विविध पूँजी प्राप्तियां		18087.63	30000.00	24000.00	55814.00
जोड़ - ऋण-भिन्न प्राप्तियां		36937.95	41650.20	38072.93	66468.00
ऋण प्राप्तियां					
3. उधार					
3.01. बाजार ऋण					
3.01.01. सकल ऋण	6001	509796.05	569615.94	558000.00	629008.84
3.01.02. पुनर्भुगतान	6001	-73584.69	-90615.94	-90615.94	-145008.84
निवल-बाजार ऋण		436211.36	479000.00	467384.06	484000.00
3.02. अल्प आवधिक उधार					
3.02.01. 14 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.02.01.01. सकल उधार	6001	2104390.81	2145265.00	2283059.00	2413650.00
3.02.01.02. पुनर्भुगतान	6001	-2109690.77	-2145265.00	-2283059.00	-2413650.00
निवल		-5299.96	...	...	...
3.02.02. 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.02.02.01. सकल उधार	6001	446803.26	532546.50	555090.67	592890.18
3.02.02.02. पुनर्भुगतान	6001	-392537.99	-537546.50	-562439.26	-573045.72
निवल		54265.27	-5000.00	-7348.59	19844.46
3.02.03. 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.02.03.01. सकल उधार	6001	93601.25	99352.50	130241.48	130007.00
3.02.03.02. पुनर्भुगतान	6001	-63600.55	-99352.50	-117239.25	-130007.00
निवल		30000.70	...	13002.23	...

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012	बजट 2012-2013	संशोधित 2012-2013	बजट 2013-2014
3.02.04. 364 दिवसीय राजकोषीय हंडियां					
3.02.04.01. सकल उधार	6001	90381.65	104371.35	130473.85	130473.85
3.02.04.02. पुनर्भुगतान	6001	-42481.60	-90371.35	-90381.90	-130473.85
निवल		47900.05	14000.00	40091.95	...
3.02.05. नकद प्रबंधन बिल					
3.02.05.01. सकल उधार	6001	93000.00	95000.00	...	100000.00
3.02.05.02. पुनर्भुगतान	6001	-93000.00	-95000.00	...	-100000.00
निवल		...	...	...	...
3.02.06. अर्थोपाय अग्रिम					
3.02.06.01. सकल उधार	6001	682685.00	700000.00	132118.00	500000.00
3.02.06.02. पुनर्भुगतान	6001	-682685.00	-700000.00	-132118.00	-500000.00
निवल		...	...	...	...
निवल - अल्पावधिक उधार		126866.06	9000.00	45745.59	19844.46
निवल - उधार		563077.42	488000.00	513129.65	503844.46
4. लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां					
4.01. प्राप्तिां	6001	...	2500.00	9928.00	7100.00
4.02. पुनर्भुगतान	6001	-10302.48	-1302.48	-1302.48	-1302.48
निवल - लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां		-10302.48	1197.52	8625.52	5797.52
5. राज्य भविष्य निधियां					
5.01. प्राप्तिां	8009	41841.65	41000.00	42000.00	44000.00
5.02. संवितरण	8009	-31037.22	-29000.00	-32000.00	-34000.00
निवल - राज्य भविष्य निधियां		10804.43	12000.00	10000.00	10000.00
6. अन्य प्राप्तिां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)					
6.01. राहत बांड					
6.01.01. प्राप्तिां	6001	101.76	...	...	...
6.01.02. संवितरण	6001	-119.19	-39.99	-57.82	-32.36
निवल - राहत बांड		-17.43	-39.99	-57.82	-32.36
6.02. बचत बांड					
6.02.01. प्राप्तिां	6001	617.08	846.52	549.71	591.06
6.02.02. संवितरण	6001	-12885.86	-10619.62	-5857.27	-1079.92
निवल - बचत बांड		-12268.78	-9773.10	-5307.56	-488.86
6.03. अन्य					
6.03.01. प्राप्तिां	6001	...	...	...	...
6.03.02. संवितरण	6001	...	...	...	...
निवल - अन्य		...	...	...	...
6.04. डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)					
6.04.01. प्राप्तिां	6001	14000.00	6800.00	6800.00	...
6.04.02. संवितरण	6001	...	...	...	...
निवल - डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)		14000.00	6800.00	6800.00	...
6.05. अन्य प्राप्तिां (राज्य भविष्य निधियों के अलावा लोक लेखा)					
6.05.01. प्राप्तिां	9002	570038.26	538987.55	517605.47	560136.27
6.05.02. संवितरण	9002	-614497.89	-533668.50	-524375.60	-544756.30
6.05.03. घटाइए - प्राप्तिां	9002	...	...	...	...
निवल - अन्य प्राप्तिां (राज्य भविष्य निधियों से भिन्न लोक लेखा)		-44459.63	5319.05	-6770.13	15379.97

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012	बजट 2012-2013	संशोधित 2012-2013	बजट 2013-2014
6.06. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं					
6.06.01. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष					
6.06.01.01. प्राप्तियां	6001	1612.69	42123.32	4005.44	42000.01
6.06.01.02. पुनर्भुगतान	6001	-1403.00	-0.02	-2514.98	-2514.98
6.06.01.03. घटाइए - निवल प्राप्तियां	6001	-1612.69	-42123.32	-4149.20	-42149.18
निवल		-1403.00	-0.02	-2658.74	-2664.15
6.06.02. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक					
6.06.02.01. प्राप्तियां	6001	...	...	...	...
6.06.02.02. पुनर्भुगतान	6001	...	...	...	...
निवल		...	...	...	...
6.06.03. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ					
6.06.03.01. प्राप्तियां	6001	...	...	...	...
6.06.03.02. पुनर्भुगतान	6001	...	...	...	...
निवल		...	...	...	...
6.06.04. एशियाई विकास बैंक					
6.06.04.01. प्राप्तियां	6001	152.68	...	143.76	147.00
6.06.04.02. पुनर्भुगतान	6001	-31.60	-31.50	-27.10	-29.59
निवल		121.08	-31.50	116.66	117.41
6.06.05. अफ्रीकी विकास कोष एवं बैंक					
6.06.05.01. प्राप्तियां	6001	...	...	...	2.16
6.06.05.02. पुनर्भुगतान	6001	-20.10	-29.71	-16.97	-17.63
निवल		-20.10	-29.71	-16.97	-15.47
निवल - अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं		-1302.02	-61.23	-2559.05	-2562.21
निवल - अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)		-44047.86	2244.73	-7894.56	12296.54
7. विदेशी ऋण					
7.01. बहुपक्षीय					
7.01.01. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक					
7.01.01.01. प्राप्तियां	6002	3059.83	3864.41	2861.16	3516.25
7.01.01.02. पुनर्भुगतान	6002	-2392.28	-2928.71	-3009.14	-3341.06
निवल		667.55	935.70	-147.98	175.19
7.01.02. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ					
7.01.02.01. प्राप्तियां	6002	7576.47	7043.51	3395.37	4834.34
7.01.02.02. पुनर्भुगतान	6002	-4323.71	-4949.85	-5094.13	-5382.22
निवल		3252.76	2093.66	-1698.76	-547.88
7.01.03. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
7.01.03.01. प्राप्तियां	6002	149.24	190.32	159.10	215.00
7.01.03.02. पुनर्भुगतान	6002	-54.37	-63.17	-60.86	-64.52
निवल		94.87	127.15	98.24	150.48
7.01.04. एशियाई विकास बैंक					
7.01.04.01. प्राप्तियां	6002	4673.86	5953.98	4743.43	6546.82
7.01.04.02. पुनर्भुगतान	6002	-1083.81	-1485.74	-1538.03	-1846.32
निवल		3590.05	4468.24	3205.40	4700.50
7.01.05. पूर्वी यूरोप समुदाय (सैक)					
7.01.05.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.01.05.02. पुनर्भुगतान	6002	-7.30	-7.74	-7.94	-8.19
निवल		-7.30	-7.74	-7.94	-8.19

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012	बजट 2012-2013	संशोधित 2012-2013	बजट 2013-2014
7.01.06. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन					
7.01.06.01. प्राप्तियां	6002	16.02	25.00	20.00	20.00
7.01.06.02. पुनर्भुगतान	6002	-8.86	-9.64	-10.14	-15.49
निवल		7.16	15.36	9.86	4.51
निवल - बहुपक्षीय		7605.09	7632.37	1458.82	4474.61
7.02. द्विपक्षीय					
7.02.01. जर्मनी					
7.02.01.01. प्राप्तियां	6002	1490.71	2421.00	945.20	996.01
7.02.01.02. पुनर्भुगतान	6002	-578.06	-869.91	-891.28	-1005.43
निवल		912.65	1551.09	53.92	-9.42
7.02.02. फ्रांस					
7.02.02.01. प्राप्तियां	6002	4.68	...	2.00	30.00
7.02.02.02. पुनर्भुगतान	6002	-226.41	-219.38	-225.22	-197.70
निवल		-221.73	-219.38	-223.22	-167.70
7.02.03. इटली					
7.02.03.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.03.02. पुनर्भुगतान	6002	...	...	...	...
निवल		...	...	...	...
7.02.04. जापान					
7.02.04.01. प्राप्तियां	6002	8636.73	6507.73	6343.93	11463.75
7.02.04.02. पुनर्भुगतान	6002	-3753.59	-4259.59	-4260.12	-4187.52
निवल		4883.14	2248.14	2083.81	7276.23
7.02.05. स्विटजरलैण्ड					
7.02.05.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.05.02. पुनर्भुगतान	6002	-4.05	-4.11	-4.33	-4.31
निवल		-4.05	-4.11	-4.33	-4.31
7.02.06. यू.एस.ए.					
7.02.06.01. प्राप्तियां	6002	818.66	...	...	...
7.02.06.02. पुनर्भुगतान	6002	-169.63	-146.50	-152.88	-155.74
निवल		649.03	-146.50	-152.88	-155.74
7.02.07. रूसी फेडरेशन					
7.02.07.01. प्राप्तियां	6002	-391.81	41.99	20.67	24.10
7.02.07.02. पुनर्भुगतान	6002	-983.81	-955.40	-1022.39	-877.67
निवल		-1375.62	-913.41	-1001.72	-853.57
निवल - द्विपक्षीय		4843.42	2515.83	755.58	6085.49
निवल - विदेशी ऋण		12448.51	10148.20	2214.40	10560.10
जोड़ - ऋण प्राप्तियां		531980.02	513590.45	526075.01	542498.62
8. नकद शेष की आहरण द्वारा कमी					
8.01. प्राप्तियां	9003	...	...	...	...
8.02. संवितरण	9003	-15990.10	...	-5150.25	...
निवल - नकद शेष की आहरण द्वारा कमी		-15990.10	...	-5150.25	...
9. बाजार स्थिरीकरण स्कीम					
9.01. प्राप्तियां	6001	...	20000.00	...	20000.00
9.02. पुनर्भुगतान	6001	...	...	...	...
निवल - बाजार स्थिरीकरण स्कीम		...	20000.00	...	20000.00
कुल जोड़		552927.87	575240.65	558997.69	628966.62

1. उपर्युक्त विवरण में पूंजी प्राप्तिओं के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार-ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तिओं दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2012-13 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा और सं.अ. 2012-13 और बजट अनुमान 2013-14 के बीच अंतर नीचे दी गई टिप्पणियों में दिया गया है।

1.01 राज्य सरकारों से वसूलियां: राज्य सरकारों से प्राप्तिओं का अनुमान सं.अ. 2012-13 में ₹8276.61 करोड़ तथा ब.अ. 2013-14 में ₹8406.48 करोड़ लगाया गया है। सं.अ. 2012-13 में प्राप्तिओं में राज्य सरकारों की ऋण माफी शामिल है जिसे समतुल्य व्यय से प्रतिसंतुलित किया जाता है।

1.02 संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) से वसूलियां: ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

1.03 और 1.04 अन्यो द्वारा वापसी-अदायगी: इनमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की वापसी अदायगियां आदि शामिल हैं।

2. विविध पूंजी प्राप्तियां : सं.अ. 2012-13 में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (एनबीसीसी), हिन्दुस्तान कॉपर लि. (एचसीएल), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल), स्टील ऑर्थोरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) नेशनल एल्युमिनियम कं. लि. (नालको), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि. (एनएमडीसी), ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल), मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन कं. लि. (एमएमटीसी), हिन्दुस्तान ऐरोनौटिक्स लि. (एचएएल), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. (एनटीपीसी) में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के भाग के विनिवेश के कारण ₹24,000 करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित हैं। सरकार ने एक "राष्ट्रीय निवेश निधि" (एनआईएफ) की स्थापना की है जिसमें चुनिंदा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त आय को सरणीकृत किया जाता है। 2013-14 में एनआईएफ में जमा ऐसी निधियों का आहरण तथा उनका उपयोग सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण और पूंजीगत व्यय हेतु भारतीय रेल में विनिवेश के रूप में किया जाएगा।

3.01 बाजार ऋण : भारत सरकार वर्ष 1992-93 से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ने फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) जारी किए जिनपर अर्ध वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर अर्धवार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्ष 2002-03 से केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक सांकेतिक बाजार उधार कैलेन्डर की घोषणा करती रही है। दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से केंद्र सरकार के निवल बाजार उधारों के संशोधित अनुमान ₹4,67,384.06 करोड़ है। ₹90,615.94 करोड़ की राशि के पुनः भुगतान को हिसाब में लेने पर सकल बाजार उधार का सं.अ. ₹5,58,000.00 करोड़ निर्धारित हुआ है। वर्ष 2013-14 में दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से केंद्र सरकार को निवल बाजार उधारों का अनुमान ₹4,84,000 करोड़ लगाया गया है। ₹95,008.84 करोड़ की अनुसूचित वापसी अदायगी और बेहतर ऋण प्रबंधन हेतु सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद/स्विचिंग के लिए ₹50000.00 करोड़ को देखते हुए, ब.अ. 2013-14 में सकल बाजार उधारों की राशि ₹6,29,008.84 करोड़ रखी गई है। 2013-14 में वापसी अदायगियों के ब्यौरे अनुबंध-13 में दिए गए हैं। विशेष प्रतिभूतियों का रूपांतरण पुनःपूंजीकरण बॉण्ड : भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रूपांतरण पूरा कर लिया है। रूपांतरित कर जारी की गई विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे अनुबंध 6क में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पुनःपूंजीकरण बॉण्डों को एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा किया है (अनुबंध 6ख में ब्यौरा देखें)।

3.02 अल्पावधि उधार (364/182/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां) : ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधि निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पृष्टी बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी और 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की पाक्षिक नीलामी निदेशात्मक त्रैमासिक कैलेन्डर में अधिसूचित की जाती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा लघु अवधि के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां भी जारी करती है।

3.02.05 नकदी प्रबन्धन हुंडियां : नकदी प्रबंधन हुंडिया सरकार के अस्थाई नकदी प्रवाह असंतुलों को दूर करने के लिए जारी की जाती हैं। नकदी प्रबन्धन हुंडियां 91 दिन से कम की परिपक्वता अवधियों के लिए जारी किए गए गैर-मानक, बट्टा लिखत हैं और जब आवश्यक हो, तभी जारी की जाती हैं।

4. राष्ट्रीय लघु बचत निधि: लघु बचत योजनाएं इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, डाकघर आवधिक जमा (1,2,3 तथा 5 वर्ष), डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IX निर्गम) तथा लोक भविष्य निधि।

लघु बजट योजनाओं पर ब्याज दर समान परिपक्वता की जी-सेक दरों के, दो अपवादों के साथ 25 आधार बिंदुओं (बीपीएस) के स्प्रेड के साथ, समनुरूप कर दी गई है। 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (नयी लिखत) का स्प्रेड 50 बीपीएस और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 100 बीपीएस होगा। प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरें उस वर्ष की पहली अप्रैल से पहले अधिसूचित की जाएंगी।

4.01 लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के अधीन, वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहण निधियों का स्रोत बनते हैं। यह निवल संग्रहण केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है जो एनएसएसएफ के अंतर्गत निधियों का अनुप्रयोग बनता है। वर्तमान में, निवल संग्रह का 5 वर्ष की आस्थागत अवधि और 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर वाली 25 वर्ष की अवधि का केन्द्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। राज्य का हिस्सा राज्य के भीतर निवल संग्रहण का 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत है, जैसा कि राज्य विकल्प दे। इन प्रतिभूतियों के एनएसएसएफ में उन्मोचन को ब्याज की विद्यमान दरों पर 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में पुनर्निवेशित किया जाता है।

तेरहवें वित्त आयोग (एफसी XIII) की सिफारिशों के अनुसार उन राज्यों को अपने संबंधित एफआरबीएम अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्यों के अनुपालन के आधार पर अनंतिम राहत दी गई है। 2006-07 तक संविदा करने वाले राज्यों को ऋणों पर ब्याज दर और 2009-10 के अंत तक बकाया ऋणों को वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए उन राज्यों द्वारा एमआरबीएम अधिनियम के संशोधन/लागू होने की तारीख से 9 प्रतिशत पर पुनःनिर्धारित किया जा रहा है। 2012-13 के बाद अपने बजट अनुमानों में यथा परिलक्षित राजकोषीय लक्ष्यों के अनुपालन के साथ ही राज्य अस्थायी राहत के हकदार होंगे यदि कोई राज्य ब्याज राहत प्राप्त करने के बाद वास्तव में एफआरबीएम में विचलन करता है (वित्त लेख के अनुसार) तो एनएसएसएफ ऋणों पर घटाई गयी राहत को वापस ले लिया जाएगा और पिछली ब्याज दर फिर से लागू हो जाएगी। राज्य द्वारा प्राप्त अधिक ब्याज दर को अगले वर्ष वसूल कर लिया जाएगा। जब भी कभी कोई राज्य अपने एफआरबीएम अधिनियम लक्ष्यों का पुनःपालन करता है तो 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर लौट सकता है।

अंशदाताओं के ब्याज भुगतान और प्रबन्धन लागत निधि के अन्तर्गत व्यय का जनक है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज इस निधि से होने वाली आय है।

एनएसएसएफ के साधन स्रोत तथा अनुप्रयोग अनुबंध 7क में दिए गए हैं और एनएसएसएफ के विविध घटकों के ब्यौरे अनुबंध 7ख में दिए गए हैं।

6.02 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003 : 8 प्रतिशत बजत (कर योग्य) बांड, 2003 की शुरुआत 21 अप्रैल, 2003 से शुरू की गई थी ताकि निवासी नागरिक/पुण्यार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय आदि बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। अर्धवार्षिक भुगतान योग्य 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज वाले इन बांडों की परिपक्वता अवधि छः वर्ष होगी। संचयी और असंचयी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ये बांड अंतरणीय नहीं हैं। इनका द्वितीयक बाजार में कारोबार भी नहीं हो सकता है। तथापि, 19 अगस्त, 2008 से वे अनुसूचित बैंकों से ऋण लेने के लिए सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में पात्र हैं।

6.03 6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003 : 6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003 की शुरुआत निवासी नागरिकों को किन्हीं मौद्रिक उच्चतम सीमाओं के बिना कर-मुक्त बांडों में अपनी बचत का निवेश करने में समर्थ बनाने के लिए 24 मार्च, 2003 को की गई थी। इस स्कीम को 9 जुलाई, 2004 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिया गया है। इन बचत बांडों का मोचन किया जाने वाला है और वापसी अदायगी के लिए इनकी परिपक्वता 24 मार्च 2008 से आरंभ हो गई थी।

6.04 डाक विभाग को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम : डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ) और ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि (आरपीओएलएफ) की निश्चल निधियों को परिवर्तित करके डाक विभाग को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम।

6.05 अन्य प्राप्ति (राज्य भविष्य निधि के अतिरिक्त लोक लेखा) : रेलवे प्रारक्षित निधियां

रेलवे प्रारक्षित निधियों का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध-14 पर देखा जा सकता है। उनमें से प्रत्येक का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(क) **रेलवे पेंशन निधि:** रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षों के नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरू में राजस्व शीर्ष के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है। सं.आ. 2012-13 में निधि में ₹20316.46 करोड़ की रकम जमा होने का अनुमान है जिसमें सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में ₹6.46 करोड़ शामिल था। निधि से ₹20000 करोड़ के आहरण का अनुमान है। वर्ष 2013-14 के दौरान इस निधि में ₹19.22 करोड़ के ब्याज सहित ₹22334.22 करोड़ की रकम जमा होने के अनुमान हैं। इसकी तुलना में ₹22000 करोड़ की रकम की निकासी का अनुमान है।

(ख) **रेलवे मूल्यहास प्रारक्षित निधि:** इस निधि में सुधारात्मक कार्यों सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में सं.अ. 2012-13 में सामान्य राजस्व से ₹2.52 करोड़ के ब्याज की अदायगी सहित अंशदान 7202.52 करोड़ रुपए का होगा। 2012-2013 में निधि से ₹7084.00 करोड़ के व्यय का अनुमान है। ब.अ. 2013-2014 के संबंध में, ₹7705.56 करोड़ का क्रेडिट होने का अनुमान है जिसमें ब्याज के मद में ₹5.56 करोड़ शामिल है। ₹7669.00 करोड़ की निकासी होने का अनुमान है।

(ग) **रेलवे विकास निधि:** रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों और रेलों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च, अलाभकारी प्रचालन सुधार एवं सुरक्षा कार्यों का खर्च पूरा करना है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतर्गुप्त करने के बाद इस निधि में इकठ्ठी होने वाली रकम उन कार्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं। रेलवे विकास निधि में ₹10144.15 करोड़ के क्रेडिट होने का अनुमान है जिसमें निधि के शेष पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ₹160.15 करोड़ का ब्याज भी शामिल है। वर्ष 2012-2013 के दौरान ₹5923.56 करोड़ की निकासियों का अनुमान लगाया गया है, जो निधि के प्रभार्य कार्यों और 2011-12 में इस निधि के लिए गए ऋण की पूर्ण वापसी अदायगी और तत्संबंधी ब्याज के लिए होंगी। 2013-14 के दौरान ₹3537.00 करोड़ की निकासी होने का अनुमान है।

(घ) **रेलवे पूंजी निधि:** इसे 1992-93 में इसलिए सृजित किया गया था कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है। 2012-13 में इस निधि की शुरुआत ₹401.53 करोड़ के नकारात्मक शेष के साथ हुई। 2012-13 में इस निधि में ₹417.24 करोड़ क्रेडिट होने का अनुमान है जिसमें निधि शेष पर प्रोद्भूत नकारात्मक ₹7.88 करोड़ का निवल ब्याज शामिल है, जबकि 2012-13 में इस निधि से कोई व्यय नहीं किया जाएगा। 2013-14 में, इस निधि में ₹5544.00 करोड़ जमा होगा, जिसमें निधि शेष में प्रोद्भूत होने वाले अनुमानित ₹50.00 करोड़ का ब्याज शामिल है और ₹2994.00 करोड़ की निकासी होने का अनुमान है।

(ङ) **रेलवे देयता प्रारक्षित निधि:** इस निधि को 2013-14 से सृजित किए जाने का प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य लिए गए ऋणों के लिए ऋण शोधन भुगतान, भावी वेतन आयोग/पुरस्कारों आदि जैसी भविष्य की वचनबद्ध देयताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान करना है। जब भी ये देयताएं देय होंगी, तो इस निधि से निकासी की जाएगी। 2013-14 में इस निधि में ₹4246.26 करोड़ रुपए के अंशदान का अनुमान है जिसमें निधि शेष पर सामान्य राजस्व से देय ₹83.26 करोड़ का ब्याज शामिल होगा। इस निधि से कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

(च) **रेलवे सुरक्षा निधि:** इसका सृजन मानव रहित लेवल क्रॉसिंग के परिवर्तन और व्यस्त लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे उपरि/अंडर सेतु के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यों के वित्तपोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से किया गया है। इस निधि का वित्तपोषण मुख्यतया केन्द्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाता है। यह निर्व्याज निधि है। इस निधि में 2012-2013 में जमा राशि ₹1105.06 करोड़ रखी गई है। जबकि निधि से ₹2000.00 करोड़ के आहरण किये जाने का अनुमान है। ब.अ. 2013-14 में ₹1104.61 करोड़ का क्रेडिट तथा ₹2000.00 करोड़ के आहरण का अनुमान है।

6.06 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं : यह अनुमान (क) भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, से संबद्ध हैं। प्रत्येक संस्थाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

6.06.01. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ): भारत का कोटा और रैंकिंग: भारत का आईएमएफ में वर्तमान कोटा ₹5821.50 मिलियन एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) है अर्थात् 2.44 प्रतिशत की श्रेयधारिता है। वोटिंग हिस्से के आधार पर भारत का स्थान (अपने चुनाव क्षेत्र के देशों जैसे, बंगलादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ मिलाकर) 24 चुनाव क्षेत्रों को सूची में 17वां है।

आईएमएफ सदस्यों को कोटा वृद्धि की समीक्षा पांच वर्ष में एक बार करता है, और ऐसी पिछली समीक्षा दिसम्बर, 2010 में की गई थी। भारत ने 2010 की समीक्षा के तहत-अपनी कोटा वृद्धि की सहमति पहले ही दे दी है और 2010 की कोटा वृद्धि के पश्चात हमारे कोटे का हिस्सा वर्तमान के 2.44 प्रतिशत से बढ़कर 2.75 प्रतिशत हो जाएगा और भारत आईएमएफ में सर्वाधिक कोटा वाले देशों में पिछले 11वें स्थान से बढ़कर आठवां देश बन जाएगा। सापेक्ष दृष्टि से भारत का कोटा 5,821.5 मिलियन एसडीआर से बढ़कर 13,114.4 मिलियन एसडीआर (लगभग 11.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा ₹56,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो

जाएगा) जहां कोटा वृद्धि के 25 प्रतिशत (लगभग ₹14,000 करोड़) का भुगतान नकद (प्रारक्षित मुद्रा) किया जाएगा और 75 प्रतिशत का प्रतिभूतियों में भुगतान किया जाएगा। ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित ब्याज रहित नोट खरीद करार है जिनका नकदीकरण आईएमएफ द्वारा किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। जब तक आईएमएफ इन नोटों के किसी भाग के नकदीकरण हेतु भारत से अनुरोध नहीं करेगा, इसमें नकद व्यय नहीं होगा। कोटों के प्रारक्षित परिसंपत्ति भाग को देश के प्रारक्षित भंडार के रूप में माना जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की उधार व्यवस्थाओं में भारत का अंशदान: कोष उधार व्यवस्थाओं के जरिए अपने कोटा संसाधनों को अस्थायी रूप से पूरा भी करता है। जुलाई, 2010 में भारत ने उधार की नई व्यवस्थाओं (एनएबी) के लिए अधिकतम 14 बिलियन अमरीकी डॉलर तक की वचनबद्धता की थी जिसमें भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पिछले नोट अथवा प्रतिभूतियां थी और वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आहरित की जा सकती हैं जब उनकी आपात निधियों में जरूरत हो। 2010 कोटा वृद्धि के प्रभाव में आने के बाद, हमारी एनएबी वचनबद्धता लगभग 7.0 बिलियन अमरीकी डॉलर तक कम हो जाने की आशा है। ये नोट नकद खर्च को तब तक प्रदर्शित नहीं करते जब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत से नहीं कहता। अधिकतम 14 बिलियन अमरीकी डॉलर की वचनबद्धता के मुकाबले, 2010 से अभी तक, केवल लगभग 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के दावे भारत पर किए गए हैं। ये उधार भारत की आरक्षित निधियों के भाग के रूप में मानी गयी है।

चल रहे यूरो क्षेत्र संकट को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संकट को रोकने तथा संकल्प और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्यों को वित्तीय आवश्यकताओं के सामर्थ्य को पूरा करने के लिए एक नए द्विपक्षीय उधार कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। 37 सदस्यों ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल कोटे का 3/5 भाग प्रदर्शित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों को 456 बिलियन तक बढ़ाने के लिए अंशदानों की शपथ ली है। 19 जून, 2012 को आयोजित जी-20 के लोस काबोस सम्मेलन में, ब्रिक्स देशों ने अपने अंशदानों की घोषणा की जिसमें भारत, ब्राजील तथा रूस प्रत्येक के 10 बिलियन अमरीकी डॉलर और चीन के 43 बिलियन अमरीकी डॉलर शामिल हैं।

आईएमएफ ने यह वचनबद्धता दी है कि ये नए संसाधन केवल तभी आहरित किए जाएंगे यदि कोटे में से पहले से उपलब्ध संसाधनों और विद्यमान उधार व्यवस्थाओं के पर्याप्त रूप से उपयोग के बाद उनकी रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में जरूरत है। यदि आहरित कर लिए जाते हैं, तो उनका ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि कोटे संसाधन कोष वित्त के मूल स्रोत रहेंगे तथा उधार की भूमिका कोटा संसाधनों को अस्थायी रूप से पूरा करने की है।

नया उधार कार्यक्रम सदस्य देशों द्वारा वचनपत्रों के जारी करने पर आधारित है जो इन देशों की प्रतिभूतियां हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपेक्षा करने पर भुनाई नहीं सकती। ये नोट खरीद संबंधी करार विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) में मूल्यवर्गित हैं और जब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रतिभूतियों के हिस्से को भुनाने की मांग नहीं की जाती, ये नकद/दुर्लभ मुद्रा का कोई खर्च नहीं करते। इसके अतिरिक्त, नोट जारी करने वाले देश की आरक्षित निधियों के भाग के रूप में माने गए हैं, और इस प्रकार ये जारीकर्ता की अपेक्षित निधियों की जमा राशि पर कोई प्रभाव नहीं डालते।

वित्तीय लेन-देन योजनाएं (एफटीपी): अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय लेन-देन योजना वह तंत्र है जिसके जरिए कोष सामान्य संसाधन लेखे में अपने सदस्यों को अपने उधार तथा भुगतान प्रचालनों के लिए वित्त पोषण करता है। कोष के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपने कोटे के अनुरूप सीमाओं तक उधार ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्यों को विदेशी मुद्रा तथा एसडीआर-दोनों में उधार देता है। विदेशी मुद्रा में दिया गया ऋण सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उपलब्ध कराए गए कोटा संसाधनों में से वित्तपोषित किया जाता है। जब एसडीआर में ऋण प्रदान किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सामान्य संसाधन लेखे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अपनी जमा राशियों से आहरण करके उधार लेने वाले सदस्यों को सीधे आरक्षित परिसंपत्तियों का अंतरण करता है।

भारत भुगतान संतुलन की मजबूत स्थिति तथा आरामदायक आरक्षित स्थिति को ध्यान में रखते हुए तिमाही सितम्बर-नवम्बर, 2012 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एफटीपी में भाग लेने के लिए सहमत हो गया है। एफटीपी में प्रभावी सहभागिता ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ऋणदाता सदस्य बना दिया है। इसके अंतर्गत, भारत को एफटीपी के अंतर्गत खरीद करने (ऋण को जारी करना) अथवा पुनः खरीद करने (कर्जदार द्वारा ऋणशोधन) के लिए कहा जा सकता है। एफटीपी में भागीदारी करते हुए, भारत आईएमएफ को अनुमति दे रहा है कि वह दुर्लभ मुद्रा के लिए हमारे कोटा अंशदान के भाग के रूप में अपनी रुपया जमा पूंजी को भुनाएं। जबकि एफटीपी में भागीदारी भारत को आईएमएफ के साथ इसकी वर्धित ऋण द्रोश स्थिति पर अतिरिक्त ब्याज कमाने की अनुमति देती है, परंतु ब्याज मुक्त रुपया प्रतिभूतियों को भुनाने से शायद उच्च उधार लागत एवं राजकोषीय स्थिति की कमी होगी। इस समस्या को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आईएमएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों को आरबीआई को जारी की जाने वाली गैर ब्याज वाली गैर विपणन योग्य प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

6.06.02 अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.वी.आर.डी.): मूल्य संबंधी अनुस्क्षण (एमओवी) देयताओं के विशेष डॉलर मूल्यवर्ग की प्रतिभूतियों में अंतरित होने के साथ सं.अ. 2012-13 और बजट अनुमान 2013-14 में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

6.06.03 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.): सं.अ. 2012-13 और ब.अ. 2013-14 में आईडीए को कोई भुगतान करने की व्यवस्था नहीं है।

6.06.04 एशियाई विकास बैंक (एडीबी): एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है। ब.अ. 2012-13 में ₹31.50 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। संशोधित अनुमान 2012-13 और बजट अनुमान 2013-2014 के लिए क्रमशः ₹27.10 करोड़ और ₹29.60 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

6.06.05 अफ्रीकी विकास निधि (एफडीएफ) और अफ्रीकी विकास बैंक (एफडीबी): एफडीएफ और एफडीबी की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई है कि उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ निकट आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु निधि तथा बैंक दोनों में प्रवेश किया है।

7. विदेशी ऋण : बजट 2013-14 में सकल प्राप्तियां ₹27646.00 करोड़ और वापसी अदायगी ₹17086.00 करोड़ आंकी गई है। इसके फलस्वरूप निवल विदेशी ऋण ₹10560.00 करोड़ होगा। अतिरिक्त ब्यौरा इस दस्तावेज के पूंजी प्राप्तियां भाग में दिया गया है।

7.01 बहुपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2013-14 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएससी) तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹4474.61 करोड़ रहने का अनुमान है। एजेंसीवार ब्यौरा इस दस्तावेज के अनुबंध-9 (विदेशी सहायता) में उपलब्ध है।

7.02 द्विपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2013-14 में जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विटजरलैंड, यूएसए और रूसी संघ से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹6085.49 करोड़ रहने का अनुमान है। एजेंसीवार ब्यौरा इस दस्तावेज के अनुबंध-9 (विदेशी सहायता) में उपलब्ध है।

9. बाजार स्थिरीकरण योजना : सरकार के अनुमोदित व्यय को पूरा करने के लिए सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के भाग के रूप में एमएसएस नकद खाते की राशि के एक भाग को सामान्य नकद खाने में अंतरित करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच आपसी सहमति से बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन को संशोधित किया गया है। एमएसएस के तहत जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों की समतुल्य राशि भारत सरकार के सामान्य बाजार उधार का हिस्सा होगी। 2013-14 में एमएसएस के तहत निवल प्राप्तियां ₹20,000 करोड़ होने का अनुमान है।